तारीख हुक्म	हुक्म या का...	
20/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र 09 R9 cpc सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे वादी के विरुद्ध दिनांक 17/03/2025 को ex-parte order जारी किया गया था लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार वादी दिनांक 05/1/25 को ही बीमारी के कारण मौत हो चुके थे। आवे० वादी (प्रार्थीगण का कथन है कि मुझे वादी की मृत्यु की सूचना थोड़ी देरी से मिली थी जिससे ना तो वादी के वारिसान को प्रा० पत्र 022R3 cpc पेश करने की सूचना दे पाया था और भूलवश नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो पाया था। वादी गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रहा था। मृत्यु के बाद वारिसान/प्रार्थीगण तीये, 12वे एवं एक माह के सामाजिक कार्यक्रमो मे व्यस्त हो गये थे और उनसे सम्पर्क नही हो सका था। प्रार्थीगण द्वारा 3 महीने की देरी माफी के लिये धारा-5 Limitation Act का प्रा० पत्र भी पेश किया है। आवे० अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण ने ना तो बीमारी के दस्तावेज लगाये है और ना ही 03 माह की देरी का उचित कारण बताया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा० पत्र धारा-5 Limitation Act को न्यायहित मे स्वीकार कर प्रा० पत्र 09 R9 cpc को भी स्वीकार (संतोषजनक कारण) किया जाता है। दिनांक 17/3/25 को जारी ex-parte order को set-aside किया जाता है। प्रकरण को पुनः दर्ज किया जावे। जिला रिकार्ड रूम से रिकार्ड तलब कर प्रकरण को फैसलशुमार कर नम्बर से कम कर सलंग्न करे।	

उपखण्ड अधिकारी
20/5/26
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रति।।

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner